

न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर - 48/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का कालियावास

बनाम

श्री टीलसिंह पुत्र वीरमसिंह जाति-रावत निवासी-रामगढ़ झूठा

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 30/10/19

साराशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम-रामगढ़ झूठा, पटवार मण्डल-कालियावास, तहसील-ब्यावर के खसरा नम्बर 544 कुल रकबा 111-14-10 किस्म-चरागाह में से रकबा 02-00-00 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्री टीलसिंह पुत्र वीरमसिंह जाति-रावत निवासी-रामगढ़ झूठा ने अवैध रूप से बाड़ी व कांटो की वाड़ लगाकर अतिचार करने पर पटवारी हल्का कालियावास ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से वेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम-रामगढ़ झूठा की सरकारी सिवायचक भूमि के ख.नं. 544 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से बाड़ी व कांटो की वाड़ लगाकर रकबे से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पड़ी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रु. 1.00 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रु. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी /भू.अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/वेदखली/ ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।



तहसीलदार, ब्यावर

Scanned by CamScanner

